परिणाम बजट - 2014-15

अध्याय - III

प्रस्तावना

संस्कृति की भूमिका

संस्कृति मंत्रालय का उद्देश्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संग्रहालयों, अभिलेखागारों, अकादमियों, सार्वजनिक पुस्तकालयों जैसी संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों में कला और संस्कृति के संवर्धन संबंधी स्कीमों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण करना है ताकि सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में हमारी मूर्त और अमूर्त दोनों सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता बनी रहे। समकालीन सृजनात्मकता के प्रोत्साहन संबंधी कार्यक्रम मंच कला, साहित्य तथा दृश्य कलाओं के क्षेत्र में कार्यरत तीन राष्ट्रीय अकादमियों और साथ ही प्रोत्साहनों, पुरस्कारों तथा अध्येतावृत्तियों की व्यवस्था के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं ताकि कला और संस्कृति विधा की अभिव्यक्ति बनी रहे। मंत्रालय द्वारा मूल स्तर पर ही संस्कृति के विकास हेतु अनेक पहल शुरू की गई हैं। देश के विभिन्न भागों में स्थापित सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र इस दिशा में न केवल अपने परस्पर मेलजोल के सांस्कृतिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर सांस्कृतिक संबंधों का प्रसार करते आ रहे हैं, अपितु ये केन्द्र ऐसे घनिष्ठ संबंध बनाने में भी सहायता कर रहे हैं जो लोगों की सांस्कृतिक चेतना और मानव संसाधन विकास का संपोषण करते हैं और जो आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसलिए आर्थिक विकास की तीव्र गति के संदर्भ में सांस्कृतिक विकास के पहलु को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि भौतिक पर्यावरण बनाए रखने, पारिवारिक मूल्यों को संजोए रखने, समाज में नागरिक संस्थानों के संरक्षण आदि में संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कृति राष्ट्रीय एकता के वाहक के रूप में कार्य करती है। संस्कृति, व्यक्तियों तथा समुदायों को कलात्मक अभिव्यक्ति की खोज, पहचान तथा इसकी दिशा में प्रयास के लिए प्रोत्साहित करती है जिससे समाज में सृजनात्मकता बढ़ती है और जिसकी गुणवत्ता से अंततः अन्य विभिन्न क्षेत्र लाभान्वित होते हैं।

सुधार उपाय तथा नीतिगत प्रयास

देश में आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी विकास से देश की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं पर असर पड़ने या प्रभावित होने या उसके प्रभाव को कम करने नहीं दिया जाना चाहिए। मंत्रालय का सदैव यह प्रयास और दृष्टिकोण रहा है कि ऐसे किसी कार्य को हतोत्साहित किया जाए जो देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने–बाने तथा इसकी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के लिए हानिकारक हैं। मंत्रालय के कार्यक्रम और कार्यकलापों का उद्देश्य देश की सांस्कृतिक परंपराओं के विकास और उनकी निरंतरता बनाए रखने हेतु कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन करके सकारात्मक दिशा का रास्ता दिखाना है। इस संदर्भ में पूरे राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक नीति विकसित करने की संगतता का और अधिक महत्व हो जाता है।

नीतिगत पहलों की दिशा में

संस्कृति मंत्रालय के सीधे नियन्त्रणाधीन राष्ट्रीय स्तर के 8 सांस्कृतिक संस्थान हैं और यह 34 स्वायत्त संगठनों के लिए जिम्मेदार है। इन संस्थानों की गहन जांच से पता चला कि कुशल विशेषज्ञों की भर्ती करके सवंर्धित व्यावसायिकीकरण की गुजांइश है जोकि इनके महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। रिक्त पदों की भर्ती व पदों के सृजन (जहां नितांत आवश्यक है) के विशेष अभियानों से अन्य स्तरों पर व्यावसायिकीकरण को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि संरक्षण, जीर्णोद्धार, अभिलेखीय प्रबंधन, अभिलेखों के डिजिटीकरण, पुरातत्वीय अन्वेषण तथा रिपोर्टों के प्रकाशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्राथमिकता से किए जा सकें। संस्कृति संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर श्री बी.एस.गोस्वामी की अध्यक्षता में प्रतिष्ठित व्यावसायिकों की एक समिति गठित की गई ताकि संग्रहालयों के आधुनिकीकरण की वृहत योजना बनाई जा सके और अब इस समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन (व्यवहार्थ चरणों में) सर्वोच्च प्राथमिकता है।

गत दो दशकों में, भारत में शहरीकरण तथा निर्माण कार्यकलापों में अत्यधिक तेजी आई है, जिनसे राष्ट्रीय महत्व के कई स्मारकों को खतरा हो गया है (या वे छुप गए हैं)। चूंकि विनियामक इन अतिक्रमणों को रोक नहीं पाया अतः सरकार ने कई आमूलचूल परिवर्तन करते हुए, मार्च 2010 में प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम (अर्थात् एएमएएसआरए) में संशोधन कर दिया।

सुधार उपाय तथा नीतिगत प्रयास

विश्व विरासत के विषय पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के कार्य यूनेस्को सूची में भारत के विरासत स्थलों की अनंतिम सूची की समीक्षा करना और उपयुक्त जुड़ाव/घटाव के लिए सिफारिशें करना ; विरासत स्थल के वैश्विक रूप से उच्च महत्व तथा नामांकन डोजियर की गुणवत्ता दोनों को ध्यान में रखते हुए, विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकन हेतु विरासत स्थलों पर विचार करना और सिफारिश करना ; प्रत्येक नामांकन डोजियर को संशोधन सहित अथवा उसके बिना अनुमोदन के लिए विचार करना और संस्तुत करना ; अगले तीन से चार वर्षों में नामांकन हेतु उपयुक्त स्थलों की सूची की समीक्षा और संस्तुति करना ; मौजूदा स्थल प्रबंधन योजना (एसएमपी) की समीक्षा करना और मौजूदा एसएमपी के कार्यान्वयन हेतु तथा जहां एसएमपी मौजूद नहीं है वहां एसएमपी का विकास करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करना और विशेष समीक्षाएं करना तथा संकटमय विश्व विरासत स्थलों, यदि कोई हो, के संबंध में समयबद्ध रूप से की जाने वाली कार्रवाईयों के बारे में सिफारिशें करना हैं।

परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग द्वारा राष्ट्रीय अकादमियों और अन्य सांस्कृतिक संस्थानों की कार्य : पद्धति पर उनकी 201वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा श्री अभिजीत सेन गुप्ता, पूर्व सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी) का गठन करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र आदि जैसे सांस्कृतिक संगठनों के शासन, संयोजन आदि से संबद्ध मुद्दों की जांच करेगी और उनके कार्य निष्पादन की निगरानी करने से संबंधित कदम सुझाएगी। एचपीसी वर्ष 2014:15 के दौरान भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

पुस्तकालय के विकास हेतु लगातार प्रयास सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान समिति ने अन्य सिफारिशों के अतिरिक्त एक ''राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन'' गठित करने की सिफारिश भी की है। मंत्रालय ने पुस्तकालय के विकास हेतु लगातार प्रयास सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन गठित किया है। इस मिशन ने 4 मुख्य क्षेत्रों का निर्धारण किया है यथा भारत राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय का सृजन ; एनएमएल मॉडल पुस्तकालयों का गठन ; पुस्तकालयों का मात्रात्मक एवं गुणात्मक सर्वेक्षण ; सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली एवं सेवा के सुधार हेतु क्षमता निर्माण। दिनांक 3 फरवरी, 2014 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, संस्कृति मंत्री

सुधार उपाय तथा नीतिगत प्रयास

श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच की उपस्थिति में ने एनएमएल के दिशा निर्देशों, लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया और औपचारिक रूप से उद्घाटन भी किया।

सचिव (संस्कृति) श्री रवीन्द्र सिंह, और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी समारोह में उपस्थित थे। ज्ञान संसाधनों तक बराबर एवं सार्वभौमिक पहुंच के उद्देश्यों के साथ भारतीय राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय (एनवीएलआई) से विविध भाषाओं में संगत पठन सामग्री के डिजिटाइजेशन द्वारा डिजिटल संसाधनों की व्यवस्था करेगा जिन्हें सभी स्तरों पर समान रूप से बॉटा जाएगा। एनवीएलआई के लक्षित उपयोगकर्ता न केवल छात्र, अनुसंधानकर्ता, डॉक्टर और पेशेवर हैं बल्कि शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से वंचित समूह भी हैं। इस प्रकार यह लोगों को जानकारी के माध्यम से शक्त बनाएगा ताकि एक ज्ञान युक्त समाज का निर्माण हो और भावी पीढ़ी के लिए डिजिटल सामग्री का परिरक्षण भी सुनिश्चित हा सके। डिजिटल पुस्तकालयों के द्वारा अत्यंत लचीले एवं सुसंगत मल्टिमीडिया संग्रहों तक पहुंच की संभावनाएं खुल जाती है जो बहुआयामों में पूरी तरह से खोजनीय और ब्राउसेबल है। जैसे–जैसे प्रत्येक पीढी इंटरनेट के साथ अधिक संपर्क में आई है, वैसे ही सूचना जल्दी और आसानी से प्राप्त करने की उनकी इच्छा में वृद्धि हुई है। इंटरनेट से एक सरल खोज के माध्यम से सूचना प्राप्त करना एक पूरी किताब पढने से अधिक आसान और तेज माना जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की इस पहल से इंटरनेट के जानकार लोगों के लिए पुस्तकालय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना काफी हद तक सुविधाजनक हो जाएगा।

सुधार के उपाय

मंत्रालय के पास सीमित वित्तीय संसाधन होने से कला और संस्कृति की परिधि में आने वाले प्रत्येक क्षेत्र के विकास में बाधाएं हैं। संस्कृति मंत्रालय के तहत् अनेक प्रमुख संस्थानों द्वारा तथा विभिन्न स्कीमों के तहत् निर्धारित लक्ष्यों को निधियों की कमी के कारण वास्तविक उपलब्धियों के अनुरूप पूरा नहीं किया जा सका। संस्कृति मंत्रालय के तहत् जो संस्थान, कला और संस्कृति के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में अपने कार्य करते हैं, वे देश में सांस्कृतिक विकास के संवाहक का कार्य करते हैं। सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में पर्याप्त बुनियादी ढाँचे के साथ इन संस्थानों का विकास किए जाने को लेकर अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 11वीं योजना में मंत्रालय के कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार की गई है। तदनुसार, पुरातत्व, संग्रहालयों, अभिलेखागारों, अभिलेखीय पुस्तकालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा मानव विज्ञान और नृजाति–विज्ञान के क्षेत्रों में प्रमुख संस्थानों के मामलों में विकास कार्यकलापों को सुदृढ़ करने

के लिए, विशेषतः योजनागत प्रावधान में, वृद्धि करने को उचित प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मंच कला एवं संग्रहालय क्षेत्रों के अंतर्गत अधिकांश सहायक अनुदान स्कीमों को XII पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान उनके कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग के साथ परामर्श करके वर्ष 2010–11/ 2011–12 के दौरान संशोधित / परिवर्तित किया गया है। चालू योजना स्कीमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एजुकेशनल कन्सल्टन्स इंडिया लिमिटेड (ईडीसीआईएल) / इंडिपेंडेंट कमिटि द्वारा XI वीं योजना की 5 चालू योजना स्कीमों का मूल्यांकन किया गया। XI योजना की अन्य चल रही योजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया क्योंकि **म्ततवत! छवज ं अंसपक सपदाण** योजना के दौरान अनुमोदित परिव्यय 25.00 करोड़ रूपए से कम था। वर्ष 2013–14 के दौरान **म्ततवत! छवज ं अंसपक सपदाण्म्ततवत! छवज ं अंसपक सपदाण** योजना की अवधि में मंत्रालय के विविध स्कीमो/ परियोजनाओं, को ईएफसी / एसएफसी द्वारा कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया। इन स्कीमों / परियोजनाओं में शामिल हैं : भारतीय संग्रहालय, कोलकाता का आधुनिकीकरण ; शताब्दियाँ एवं जयंतियां ; स्वामी विवेकानंद ; गांधी विरासत साइट मिशन ; साइंस सिटी, गुवाहाटी ; साइंस सिटी कोलकाता का उन्नयन ; साइंस सिटी स्कीम को जारी रखना ; टैगौर सांस्कृतिक परिसर ; कलाकार पेंशन स्कीम ; भारतीय मैत्री ; अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध ; राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ; फेलोशिप स्कीम ; संग्रहालय स्कीम ; कला एवं संस्कृति का संवर्धन; एनएमएमएल व राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के लिए सहायता अनुदान।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा अन्य अभिलेखागार पुस्तकालयों ने उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों/पांडुलिपियों और माइक्रोफिल्मों के अभिलेखों के अंकीय रूप प्राप्त करने के लिए अंकीयकरण कार्यक्रम को तेज कर दिया है। 'संग्रहालय आंदोलन' के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायक उपायों के साथ तथा शुरूआती कठिनाइयों, जो अब नियंत्रण में लगती है, को देखते हुए 12वीं योजना अवधि एक ऐसा समय हो सकती है जब इस आंदोलन को पूरी गंभीरता से आरंभ किया जा सकता है। संग्रहालय आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले कार्यों में आभासी संग्रहालय सहित स्थानीय और क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना और स्तरोन्नयन, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के (मैट्रो संग्रहालय) का आधुनिकीरण, राज्य सरकार/नागरिक समाज की भागीदारी के माध्यम से राज्यों की राजधानियों में बड़े स्तर के संग्रहालयों की स्थापना, आईसीटी प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंच को सुगम बनाने के लिए सभी संग्रहालयों में संग्रहों के अंकीकरण के कार्यक्रम, संग्रहालय के मौजूदा

कर्मचारियों की क्षमता का विकास और प्रशिक्षण, संग्रहालय डिजाइन और संग्रहालय प्रबंधन आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन जैसे व्यापक कार्यात्मक क्षेत्र शामिल होंगे।

विगत 25 वर्षों के दौरान सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) के कार्यकरण और कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने श्री मणि शंकर अय्यर की अध्यक्षता में वर्ष 2010 में जेडसीसी पर एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने जेडसीसी को उनके अधिदेश को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी जिनमें जेडसीसी की गुरू शिष्य परंपरा स्कीम का पुनर्योजन ; लोक एवं जनजातीय कलाकारों के पारिश्रमिक को बढ़ाना ; जेडसीसी की कॉर्पस निधि को बढ़ाना ; नई प्रतिभाओं विशेषकर ग्रामीण मुफस्सिल क्षेत्रों तथा शहरी मलिन बस्तियों के सुविधा वंचित लोगों की पहचान, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन शामिल हैं।

प्रक्रियात्मक विलंब के समय में कटौती करते हुए अनुदानों की निर्मुक्ति में तेजी लाने की दृष्टि से बजटीय आंवटन के तहत निधियों के केंद्रीकृत सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया अगस्त, 2008 से समाप्त कर दी गई तब से संबंधित अनुभागों ने अपनी–अपनी स्कीमों/संगठनों से सम्बन्धित निधियों के सर्टिफिकेशन के कार्य को आरंभ कर दिया है। प्रधान लेखा कार्यालय सम्बंधित वेतन एवं लेखा कार्यालयों के जरिये मंत्रालय से सम्बंधित लेखा मामलों के लिए उत्तरदायी है जो भुगतान कार्यों, बजट की निगरानी और सभी लेन–देन के खातों का संकलन का कार्य कर रहे हैं। सभी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों को सहायता अनुदान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) इनके व्यय का नियंत्रण, मंत्रालय के कम्प्यूटरीकृत मासिक लेखे, विनियोग लेखों की तैयारी आदि जैसी कम्प्यूटरीकृत प्रणाली की शुरूआत के साथ ये प्रणाली वेतन एवं लेखा कार्यालयों के अनेक कार्यों में गति और शुद्धता प्राप्त करने में और लेखा प्रक्रिया के विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता को भी बनाये रखने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

सार्वजनिक/निजी भागीदारी

संस्कृति मंत्रालय ने देश की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, संरक्षण एवं परिरक्षण के क्षेत्र में सार्वजनिक/निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में, भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक निजी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1996 में राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना की गई। निधि, भारत की मूर्त एवं अमूर्त विरासत के परिरक्षण और संरक्षण के लिए भागीदारी और सहयोग आमंत्रित करती है। इसकी स्थापना भारत की संस्कृति निधियन के

सुधार उपाय तथा नीतिगत प्रयास

नवोन्मेषशाली पैटर्न को शुरू करने के लिए की गई। निधि, सरकार को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण हेतु सरकार, गैर–सरकारी एजेंसियों, निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों से बजटेतर संसाधन जुटाने में सहायता करती है। एन सी एफ अनेक विरासत स्थलों तथा स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए अनेक प्रमुख कार्पोरेट घरानों, सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों, अन्तर्राष्ट्रीय न्यासों तथा वित्तपोषक एजेंसियों से जुड़ी है।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन.सी.एफ) का प्राथमिक उद्देश्य विरासत के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी) की स्थापना और पोषण करना है। एनसीएफ का उत्तरदायित्व है, देश के समग्र विकास में इसकी भूमिका को साकार करने के लिए इस क्षेत्र को संवेदनशील बनाना तथा विरासत को इसके कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के भाग के तौर पर स्वीकारना। मूर्त और अमूर्त विरासत के क्षेत्र में 14 से अधिक चल रही परियोजनाएं एनसीएफ के अधीन हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नाकिंत मूर्त तथा अमूर्त विरासत परियोजनाएं – एन सी एफ परियोजनाओं के निजी क्षेत्र वित्तपोषकों के साथ शुरू – पूरी की गई।

क. मूर्त विरासत परियोजनाएं :

•	एन टी पी सी लिमिटड	----	संरक्षण, स्मारकों का विकास (क) मांडु (ख) विक्रमशिला और (ग) ललितगिरि / धौली
•	राज्य पुरातत्व विभाग, हैदराबाद एण्ड डब्ल्युएमएफ	----	पूर्व ब्रिटिश निवास, हैदराबाद का संरक्षण और पुनः उपयोग
•	उत्तरादेवी धर्मार्थ और अनुसंधान प्रतिष्ठान	----	शिव मंदिर, भुलेश्वर का संरक्षण और पुनरूद्धार
•	यूसीओ बैंक	----	हिडिम्बा देवी मंदिर, मंडी के लिए दर्शक सुविधाएं।
•	एएसआई–एसटीसी	----	जय प्रकाश यंत्र, जंतर मंतर, नई दिल्ली का संरक्षण
•	हडको	----	सुन्दरवाला महल, सुन्दर नर्सरी, नई दिल्ली का संरक्षण
(ख)	अमूर्त विरासत परियोजनाएं :		

सुधार उपाय तथा नीतिगत प्रयास

•	नटनकेरली	----	रामायण संक्षेपम
•	जे पॉल गेट्टी ट्रस्ट-ए एस आई-ब्रिटिश संग्रहालय	----	साइट संग्रहालय और साइट प्रबंधन पेशेवरों का क्षमता निर्माण
•	ब्रिटिश संग्रहालय	----	नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम
•	निरलॉन प्रतिष्ठान न्यास - कोचि बिनाले प्रतिष्ठान	----	कोचि-मुजिरिस बिनाले 2012 कैटलॉग का प्रकाशन।
•	राष्ट्रीय संग्रहालय-सीएसएमएस-इलाहाबाद संग्रहालय-भारतीय संग्रहालय	----	राष्ट्रीय संग्रहालय के भारतीय संग्रहालय श्रृंखला के खजाने
•	मैसर्स नियोगी बुक्स	----	पाँच भारतीय संग्रहालयों की प्रकाशन श्रृंखलाओं का उत्पादन एवं वितरण
•	आर ई सी-एस ई डब्ल्यु ए	----	गुजरात में शिल्प एवं स्थायी कौशल विकास।
•	हडको	----	विरासत हेतु शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम।

वर्ष 2012-13 में पूरी की गई परियोजनाएं

1.	आरईएसीएच विरासत उत्सव 2012, उत्तराखण्ड
2.	प्राकृतिक विरासत चित्रों पर मार्ग पब्लिकेशन का प्रायोजन
3.	नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम।
4.	पुरावशेषों तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 का संशोधन
5.	आईएएसए सम्मेलन, दिल्ली हेतु 25 भारतीय भागीदारों का प्रायोजन

वर्ष 2013-14 में पूरी की गई परियोजनाएं

1. रामायण संक्षेपम
2. कोचि-मुजरिस बिनाले 2012 कैटलॉग का प्रकाशन

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 19.50 करोड़ रूपए के कॉर्पस योगदान के माध्यम से एनसीएफ को, इनकी प्रारंभिक प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है।

सुधार उपाय तथा नीतिगत प्रयास

सामाजिक एवं महिला सशक्तीकरण प्रक्रिया

संस्कृति मंत्रालय अपने कार्यक्रमों में सभी वर्गों के लोगों को शामिल करने पर पर्याप्त बल देता रहा है। मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए तथा शुरू किए गए और इसके विभिन्न संगठनों द्वारा अपने–अपने कार्यकलापों के माध्यम से चलाए जा रहे अधिकांश कार्यक्रमों में निजी कलाकारों, कलाकार समुदायों, स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों तथा व्यापक स्तर पर लोगों को शामिल किया जाता है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेड सी सी) द्वारा तैयार किए गए तथा अपनाए कार्यकलापों में संबंधित क्षेत्रों में उन कलाओं के विकास को शामिल किया जाता है जिनके लिए इन केन्द्रों की स्थापना की गई और इन केन्द्रों के कार्यकलापों में स्थानीय कलाकारों/निष्पादकों तथा संबंधित क्षेत्र के लोगों को उचित महत्व दिया गया है। अकादमियों जैसे संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित अकादमी के मामले में आम लोगों की भागीदारी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों, विशेषतः राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों सहित पुस्तकालयों की स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान करता है वह महिलाओं और शरीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित आम लोगों को अपनी सेवाएं देता है। शैक्षिक एवं आउटरीच कार्यक्रम तथा विद्यार्थियों और जनता के लाभार्थ विभिन्न संग्रहालयों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियाँ भी इस संदर्भ में विशेष उल्लेख के पात्र हैं।

महिला सशक्तीकरण के मामले में संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों विशेषतः क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों; संगीत नाटक अकादमी; साहित्य अकादमी; ललित कला अकादमी; राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय; सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान के अधिकांश कार्यक्रमों/स्कीमों में एक मोटे अनुमान से इनके कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी पर्याप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों, मानव विज्ञान संबंधी संस्थानों जैसे क्षेत्रों संबंधी कार्यकलापों / कार्यक्रमों के तहत महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी रहेगी। चूँकि सामान्य रूप से संस्कृति मंत्रालय और इसके संगठनों के अधिकांश कार्यकलाप/कार्यक्रम मुख्यतः कला और संस्कृति के विकास के प्रति समर्पित हैं, अतः संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रलेखन, प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी काफी प्रशंसनीय हो सकती है। तथापि, इस मंत्रालय के संबंध में यह पाया गया कि विशेष तौर पर महिलाओं को लाभान्वित करने वाली कई स्कीमों के अंतर्गत, बजटीय आबंटनों और निष्कर्षों में से निधियों को वास्तविक रूप में क्वांटिफाई कर पाना संभव नहीं होगा। तथापि, यह मंत्रालय जेडसीसी और कला

एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता स्कीम (पूर्व में विशिष्ट मंच कला परियोजना/नृत्य, नाटक एवं रंगमंच मंडलियों हेतु व्यावसायिक समूहों तथा व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता) के अंतर्गत महिलाओं के लाभ हेतु बजटीय आबंटन का 30 प्रतिशत निर्दिष्ट करता रहा है।

अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) एवं जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)

डा. नरेन्द्र जाधव, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एससीएसपी तथा टीएसपी संबंधी विशेष कार्यबल की 27.10.2010 को आयोजित बैठक में यह निर्णय किया गया कि संशोधित मानदण्ड के अनुसार संस्कृति मंत्रालय सहित कतिपय मंत्रालय/विभागों का एससीएसपी के तहत योजनागत निधियां उद्दिष्ट करने का कोई दायित्व नहीं है। जहां तक टीएसपी का संबंध है, मंत्रालय, इसके कतिपय चुनिंदा संगठनों/स्कीमों के तहत वर्ष 2011–12 में अपने योजनागत आबंटन में से 2 प्रतिशत उद्दिष्ट करता रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सरकार के स्वच्छ एवं त्रीव कार्यकरण में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया है। इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 18 सीपीआईओ और 10 अपीली प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। मंत्रालय के निर्बाध कार्यकरण पर सतर्कता दृष्टि रखना इनका कार्य हैं। मंत्रालय के 10 वरिष्ठ अधिकारियों (10 प्रमंडल प्रमुखों) को उनके प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए अपीली प्राधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। 18 अवर सचिवों /उप निदेशकों को भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नियुक्त किया गया है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन हेतु आरटीआई अधिनियम के सभी प्रावधानों के कार्यान्वयन में मंत्रालयों को सहायता प्रदान करने और सीपीआईओ को अपने कार्य के निवर्हन में प्रशिक्षित करने के लिए आईएसटीएम कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन करता है। अधिकारियों/सीपीआईओ ने समय–समय पर आयोजित ऐसी कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में भाग लिया। वर्ष 2012–13 के दौरान मंत्रालय को मंत्रालय से संबंधित विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं पर सूचना प्राप्त करने संबंधी 402 आवेदन प्राप्त हुए थे और इनमें से लगभग सभी आवेदनों का निपटान कर दिया गया था। अतिरिक्त शुल्क सहित आरटीआई शुल्क के रूप में 2147 रू की राशि एकत्रित की गई। वर्ष 2013–14

सुधार उपाय तथा नीतिगत प्रयास

(अप्रैल, 2013–मार्च 2014) के दौरान मंत्रालय में सूचना प्राप्त करने से संबंध्ति 796 आवेदन प्राप्त हुए थे और आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत 86 अपीलें भी प्राप्त हुईं थीं। अतिरिक्त शुल्क सहित आरटीआई शुल्क के रूप में 4756 रु की राशि एकत्रित हुई। इसमें से अधिकांश मामलों को वर्ष के दौरान निपटा दिया गया था।

लोकहित के सभी मामले जैसे मंत्रालय की स्कीमों, कार्यान्वयन एजेंसी, अनुदान सहायता संबंधी स्कीमों की सूचनाएं, वरिष्ठ अधिकारियों, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के नाम तथा बजटीय व्यय/बजटीय प्रावधानों आदि से संबंधित आंकड़े मंत्रालय की वेबसाइट **www.indiaculture.gov.in** पर डाली गई हैं तथा इसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

संस्कृति मंत्रालय कला एवं संस्कृति के संवर्धन तथा प्रसार हेतु बहुत सी सहायता अनुदान स्कीमों का संचालन करता है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों/स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष स्कीमों के बारे में तथा स्कीमों के उपयोग करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अग्रणी समाचार–पत्रों में और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर भी विभिन्न सहायता अनुदान स्कीमों के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करने संबंधी विज्ञापन दिए जाते हैं। मंत्रालय ने इन अनुदानों का लाभ उठाने के लिए स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों और व्यक्तियों की जानकारी और उपयोग के लिए आम जनता के लाभ हेतु मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सहायता अनुदान स्कीमों के ब्यौरे देने वाली ''समर्थन'' पुस्तिका भी प्रकाशित की है।